कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद (हाथरस)

पत्रांक 61 /गौवंश चारा/ई0टैण्डर/2026–27 दिनांक 12.5.2026

ई–निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकास खण्ड सादाबाद में संचालित अस्थाई गौ आश्रय स्थल कन्जौली,जारऊ,चिरावली,कुरसन्डा,पचावरी,बिसावर,तरीगां,नसीरपुर,कजरौठी एंव करसौरा में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु (हरा/सूखा) चारे की व्यवस्था करने के लिए गेहूँ का भूसा, पुआल (धान), हरा चारा जिसमें (ज्वार ,बाजरा, मक्का, जई, बरसीम एवं गन्ना) एवं साइलेज का मांग के अनुसार प्रतिदिन/समय –समय पर क्रय किया जाना है। वर्तमान में विकास खण्ड में लगभग2900 गौवंश संरक्षित हैं। भविष्य में गौशाला एवं गौवंश की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसकी दरें प्रति कु0 निर्धारित करने एंव दरों में एकरूपता मनाये रखने के लिए न्यूनतम दरों वाली फर्मों के चयन हेतु विभिन्न फर्मो/एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय ई0 निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य स्थल पर आपूर्ति हेतु ई–निविदायें (ऑनलाइन विड्स) http://etender.up.nic.in के माध्यम से प्री–क्वालीफिकेशन टेकनीकल बिड एवं प्राइज बिड/ फाइनेन्शियल बिड दिनांक 13.05.2026 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 23.05.2026 की सायं 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्री–क्वालीफिकेशन टेक्नीकल बिड दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आनलाइन खोली जायेगी एवं प्री–क्वालीफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदा दाताओ के प्राइज बिड/फाइनेन्शियल बिड दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी। नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	आपूर्ति कुन्तल में	क्रय दर अधिकतम रूपये में प्रति कुन्तल	धरोहर राशि (ई.एम.डी). (रूपये) में	निविदा फार्म की फीस (रू0) में	आपूर्ति करने की अवधि
1	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु गेहू काभूसा आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	800.00	30000.00	500.00	31–03–2027 तक
2	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु धान का पुआल आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	650.00	30000.00	500.00	31–03–2027 तक
3	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु हरा चारा आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	300.00	30000.00	500.00	31–03–2027 तक
4	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु दाना आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	2200.00	10000.00	500.00	31–03–2027 तक
5	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु साइलेज आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	800.00	20000.00	500.00	31–03–2027 तक

निविदा से संबधित नियम एवं शर्तें

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. क्रय समिति के यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा निरस्त कर दे।
3. निविदा दिनांक 13.05.2026 से की पूर्वाहनः 11:00 वजे से दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 3.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजो की स्टेड प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 4:00 वजे तक अनिर्वाय रूप से जमा करनी होंगी। तदोपरान्त दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे से तकनीकी विड एवं 3:00 वजे से वित्तीय विड विकास खण्ड कार्यालय में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।
4. निविदा के साथ उपरोक्तानुसार धनराशि का बैंक ड्राफट धरोहर राशि (ई.एम'डी). के रूप में जो खण्ड विकास अधिकारी सादाबाद के नाम से होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि(ई.एम'डी).के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदादाता का जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है जिसकी स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
6. निविदा दो भागों में विभक्त होगीः–

अ) तकनीकी निविदाः– फर्म को तकनीकी निविदा के साथ धरोहर राशि (ई.एम'डी) मूलरूप में, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति एवं रू0 10 के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा उपलब्ध करानी होगी कि उनकी फर्म को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है तथा निविदा की समस्त शर्तें उनको स्वीकार है।

उपरोक्त समस्त प्रपत्र/अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रति ई0 निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजो की प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 4:00 वजे तक अनिर्वाय रूप से जमा करनी होंगी। लिफाफे पर फर्म का नाम एवं पता तथा चारा आपूर्ति तकनीकी बिड लिखना होगा। तकनीकी बिड में सफल घोषित होने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी।

7. **ब) वित्तीय निविदाः–** वित्तीय निविदा में फर्म को न्यूनतम दर अंकित कर ई0 निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजो की प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 4:00 वजे तक अनिर्वाय रूप से जमा करनी होंगी। लिफाफे पर फर्म का नाम एवं पता तथा चारा आपूर्ति हेतु वित्तीय बिड लिखना होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी जिसमें सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी। क्रय समिति द्वारा न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जायेगा।
9. सफल निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर के आधार पर सम्वन्धित गौशाला की ग्राम पंचायत के साथ वित्तीय वर्ष **2026–27** हेतु रू. 100 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 07 दिवसो में अनुबन्ध करना होगा। न्यूनतम दरें दिनांक **31.03.2027** तक मान्य होगी। विशेष परिस्थिति में दर अनुबन्ध को एक माह तक यथा दिनांक **30.04.2027** तक बढ़ाने का अधिकार (ग्राम स्तरीय मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की संस्तुति पर) ग्राम पंचायत सचिव को होगा। अनुबन्ध के समय एक माह की आपूर्ति मूल्य के बराबर धराशि के पॉच प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0 सम्वन्धित ग्राम पंचायत के नाम से जमानत के रूप में देनी होगी। न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा अनुबंध के असफल होने की दशा में धरोहर राशि/जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता से न्यूनतम दरों पर अनुबंध करने पर विचार किया जायेगा।

आपूर्तिः—

1. ग्राम पंचायत में संचालित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल समिति की मांग के अनुसार उनके द्वारा क्रय आदेश निर्गत तकिया जायेगा। क्रय आदेश के सापेक्ष गौवंश आश्रय स्थल को फर्म द्वारा चारा आपूर्ति (मय लोडिंग एवं अनलोडिंग) करते हुए बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आपूर्तित चारे/अन्य सामग्री का नेत्र परीक्षण संबधित द्वारा किया जायेगा। चारे/अन्य सामग्री की गुणवत्ता सही होने पर संचालन समिति द्वारा उसका फर्म भुगतान किया जायेगा।
2. आपूर्ति अधिकतम दो दिवस के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। आपूर्ति के अभाव में यदि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो जमानत धनराशि जब्त कर फर्म के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
3. गौवंशो/गौशालाओं की संख्या में परिवर्तन के अनूसार आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा में परिवर्तन का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा।

भुगतानः—

आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान संबन्धित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल समिति द्वारा उपलब्ध बजट/धनराशि के प्राप्त होने पर किया जायेगा। भुगतान में देरी के कारण फर्म को किसी प्रकार की ब्याज /पेनाल्टी अथवा अन्य कोई भुगतान अलग से देय नहीं होगा। बिलो से नियमानूसार टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी

गुण्वत्ताः—

चारे की आपूर्ति प्राप्त करते समय उसका नेत्र परीक्षण किया जायेगा। यदि नेत्र परीक्षण के समय अद्योमानक प्रतीत हुआ तो चारे को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने व्यय पर वापस लेना होगा। चारे में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ, धूल, बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकड़े आदि नहीं होने चाहिए।

अन्य शर्तेः—

1. यदि आपूर्ति के संबन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार क्रय समिति के निर्णय के माध्यम से निपटारा किया जायेगा एवं क्रय समिति/ का निर्णय दोंनो पक्षों को मान्य होगा। किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र जनपद हाथरस होगा।
2. शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जाना सम्भव होगा तथा चारा निरन्तर उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
3. निविदा फार्म की फीस बैंक डी0डी0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी ,सादाबाद के नाम होगी। जो किसी भी दशा में वापस नही की जायेगी। प्रत्येक मदवार निविदा के लिए अलग—अलग धनराशि जमा करनी होगी।

(सुरेश कुमार सिंह)
खण्ड विकास अधिकारी
सादाबाद,(हाथरस)

पत्रांक 61 /गौवंश चारा/ई0टैण्डर/2026—27 तद दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्न की सेवा में सूचनार्थ प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, महोदय हाथरस।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय हाथरस की सेवा में सूचनार्थ।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हाथरस।
4. जिला विकास अधिकारी महोदय हाथरस।
5. उप जिलाधिकारी सादाबाद हाथरस।

6. पशु चिकित्साधिकारी,सादाबाद ।
7. टेण्डर समिति के सदस्य ।
8. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, हाथरस को साइड पर अपलोड हेतु ।
9. सम्बन्धित सचिव/प्रधान ग्राम पंचायत ।
10. नोटिस वॉर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. प्रभारी,दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण एवं दैनिक दीक्षित टाइम्स को इस अनुरोध से कि उक्त निविदा विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र में शासकीय एवं रियायती दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

खण्ड विकास अधिकारी
सादाबाद,(हाथरस)

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH KUMAR SINGH
Date: 2026.05.14 21:25:34 IST
Location: Uttar Pradesh-UP